क्र. 238-242(न) दि. 22/08/2023

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,गुना(म.प्र.)

:– कैन्टीन संचालन हेतु सूचनाः–

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, जिला न्यायालय गुना में कैन्टीन संचालन दो वर्ष (24 माह) हेतु बंद लिफाफे में निविदा प्रस्ताव आमंत्रित की जाना है। नीलामी की न्यून्तम राशि 3,16,224/–(तीन लाख सौलाह हजार दो सौ चौबीस) रूपये मात्र है।

निविदा शर्तों के संबंध में सहमति दर्शाते हुए कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना के नाम से राशि 25000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट दिनांक 12.09.2023 के शाम 05:00 बजे तक मय निविदा फार्म पूर्ण कर बंद लिफाफे में जमा करें।

इस हेतु विस्तृत विवरण कार्यालय प्रभारी अधिकरी नजारत् अनुभाग एवं अभिभाषक संघ गुना के नोटिस बोर्ड एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की बेबसाईट (www.mphc.gov.in) पर भी देखा जा सकता है।

प्रभारी अधिकारी,
नजारत अनुभाग,
कार्या.प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,गुना(म.प्र.)

कैंटीन संचालन का स्थानः– जिला न्यायालय परिसर गुना

निविदा फार्म

प्रथम पक्ष :–निविदाकर्ताकानाम..

पता..
मोबाईल नं...
आधार कार्ड...
जी.एस.टी. प्रमाणपत्र यदि हो तो...
पेन कार्ड.नं...
उक्त कार्य का अनुभव यदि हो तो ....
संस्था का पंजियन प्रमाण पत्र यदि हो..
प्रस्तावित अनुबंध राशि(अंको एवं शब्दो में)....................................
....

द्वितीय पक्ष :– प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग
जिला न्यायालय गुना म0प्र0।

जिला न्यायालय परिसर,गुना स्थित कैंन्टीन के संचालन हेतु निविदाकर्ता से 02 वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित शर्तो के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

–: निविदा–शर्ते :–

01. निविदा अनुबंध हेतु आवेदक/कैन्टीन संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति 25000/– रू की राशि का डी.डी **अपनी बोली सहित** बंद लिफाफे में दिनांक 12.09.2023 के शाम 05.00 बजे तक या तो स्वंय अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम् से कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना में प्रस्तुत करेगा, उक्त अवधि पश्चात् किसी भी माध्यम् से प्राप्त निविदा मान्य नही होगी।

02. निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ कैन्टीन संचालन हेतु 25000/–का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय गुना के नाम से अमानत के रूप में जमा करेगा जो जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार की जावेगी, उक्त निविदाकर्ता की राशि अमानत के रूप द्वितीय पक्ष के पास सुरक्षित जमा रहेगी तथा शेष निविदाकर्ताओं जिनकी निविदा असफल होगी, उनकी राशि निविदा की चयन प्रक्रिया के पश्चात् मूलतः वापस की जावेगी।

प्रथम पक्ष द्वारा कैन्टीन संचालन हेतु खुली भुमि 54.90 वर्ग मीटर का मासिक किराया न्यूनतम 13176/– की दर से दो वर्ष के लिये राशि रूपये 316224/– (तीन लाख सोलाह हजार दो सौ चौबीस) रूपये मात्र की न्यूनतम अनुज्ञा शुल्क निर्धारित है, अनुज्ञा शुल्क निविदाकर्ता जिसके अधिक्तम प्रस्तावित किया जावेगा, अन्य शर्तो के अध्याधीन निविदा स्वीकार की जावेगी।

03. निविदा स्वीकृति उपरॉत टेंडर की शर्तों के अनुसार अनुबंध पत्र (ठेकाकार) निष्पादित न करने की दशा में सुरक्षानिधि की राशि बिना सूचना के जप्त कर ली जावेगी।निविदाकर्ता एंव द्वितीय पक्ष द्वारा दो वर्ष के लिये खुली भूमि **54.90 वर्गमीटर** आधिपत्य दिनांक को अनुबंध संपादित किया जाएगा।

04. जिला न्यायालय परिसर में कैंटीन हेतु **54.90 वर्गमीटर की भूमि उपलब्ध कराई जावेगी,** जिस पर निविदाकर्ता कैटींन संचालन हेतु स्वयं के व्यय पर **अस्थायी निर्माण** करेगा । **निविदा केता ठेका स्वीकृति होने के पश्चात् केन्टीन का निर्माण करेगा अतः केन्टीन का निर्माण होने के लिये दो माह की अवधि के पश्चात् ठेके की दो वर्ष की अवधि प्रारंभ होगी।**

05. कैंटीन संचालन में अनुबंध अनुसार अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि प्रथम पक्ष द्वारा कैंटीन का संचालन बंद किया जाता है, तो निविदाकर्ता को उसके द्वारा जमा की गई अमानत कोई राशि लौटाई नहीं जावेगी।

06. जिस निविदाकर्ता की अधिकतम निविदा बोली अंतिम रूप से मान्य होगी, उसे निविदाकर्ता को अनुबंध निष्पादन दिनांक को या उसके पूर्व निविदा की निर्धारित राशि **चार किश्तों** में 6 माह पूर्ण होने से 15 दिवस पूर्व जमा करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा। **(ठेकेदार को बोली स्वीकृति के बाद प्रथम किश्त व अन्य तीन किश्ते छः–छः माह के अन्तराल से जमा करानी होगी।)**

07. अनुबंध की शर्तो को प्रथम पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लघंन करने की दशा में अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के केंटीन अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एंव धरोहर राशि शासन के हित में राजसात की जा सकेगी, जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

08. माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 के आदेशानुसार या प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा निविदा शर्तों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसका निविदाकर्ता को पालन करना अनिवार्य होगा।

09. कैंटीन के संचालन अथवा निविदा की शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने का निराकरण प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा, जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

10. निविदाकर्ता ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय सम्पत्ति की क्षति कारित हो, अन्यथा अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

11. निविदाकर्ता कैंटीन संचालन के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधि विरूद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा अन्यथा निविदाकर्ता के विरूद्ध विधिवत् कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

12. प्रथम पक्ष या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार के आपराधिक गतिविधियों हेतु परिसर का उपयोग नहीं करेंगे और न ही करने देंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिसर में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों हेतु परिसर का उपयोग नहीं करेंगे और न ही करने देंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिसर में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर कैंटीन अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

13. समय–समय पर द्वितीय पक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कैंटीन का निरीक्षण किया जा सकेगा।

14. निविदाकर्ता कैंटीन का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में समय–समय पर द्वितीय पक्ष द्वारा दिये गये निर्देशानुसार किया जावेगा तथा लोक अदालत आदि के विशेष अवसर पर कैंटीन का संचालन आवश्यक रूप से किया जावेगा।

15. निविदाकर्ता कैंटीन के संचालन के दौरान उन्हें आबंटित स्थान में किसी भी प्रकार स्थाई निर्माण/संरचना नहीं किया जावेगा। निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन संचालन में कोई अस्थाई निर्माण, जो कि व्यवसाय संचालन में आवश्यक है, पूर्व में प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित करवाने के उपरांत ही कर सकेंगे, जो शासकीय सम्पत्ति की क्षति कारित करने वाला न हो, किन्हीं कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थाई निर्माण के हटाने का आदेश देगा तो निविदाकर्ता अपने अस्थाई निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटाएगा।

16. निविदाकर्ता कैंटीन कक्ष का पृथक से विद्युत संयोजन प्राप्त कर निर्धारित अवधि के विद्युत देयक भुगतान करेगा।

17. कैंटीन दुकान के संचालन के लिए प्रथम पक्ष द्वारा ही मशीनों को रखा जावेगा तथा इस रख रखाव में हुए व्यय का वहन भी प्रथम पक्ष का ही होगा।

18. निविदाकर्ता कैंटीन दुकान का विधि अनुसार संबंधित नगरपालिका परिषद/ नगर निगम से दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन करायेगा तथा समस्त प्रकार के करों का भुगतान करेगा।

19. निविदाकर्ता द्वारा खाद्य सामग्री विक्रय की दर द्वितीय पक्ष से अनुमोदित कराई जावेगी, ऐसी दर बाजार दर से अधिक नहीं होगी एवं अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जावेगी।

20. विक्रय योग्य वस्तुओं की अनुमोदित दरें कैंटीन परिसर में सदृश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी प्रथम पक्ष का होगा।

21. कैंटीन संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कोई दायित्व नहीं रहेगा।

22. सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा फॉर्म में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टॉम्प ड्यूटी पर स्वयं के व्यय से निष्पादन किया जावेगा।

23. निविदा प्राप्तकर्ता ठेका प्राप्त होने के पश्चात् केन्टीन का संचालन समय सुबह 09:00 से शाम 06:00 बजे तक ही करेगा।

24. आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्व में शर्तों का उल्लंघन करने/विवाद वाले या अन्यथा अभिभाषकों/न्यायालयीन कर्मचारियों/पक्षकारों आदि से विवाद करने वाले व्यक्तियों को निविदा की कार्यवाही में भाग लिये जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा /उनकी निविदा आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकेगा/निविदा निरस्त की जा सकेगी।

25. कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना द्वितीय पक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह निविदा के अंतर्गत की गई शर्तों में से किसी शर्त को परिवर्तित या परिवर्धित अथवा रद्द कर सकता है।

26. सफल निविदा प्राप्तकर्ता द्वारा कैंटीन का मुख्य द्वार न्यायालय परिसर के अंदर रखा जावेगा व बाहरी रोड तरफ एक छोटा द्वारा ही खोला जावेगा एवं स्वयं के व्यय पर केंटीन के अंदर रंगरोगन मरम्मत आदि का कार्य समय–समय पर किया जावेगा।

27. कैंटीन परिसर या उसका कोई भाग उपकिरायेदारी आदि पर या अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।

28. प्रथम पक्ष कैंटीन में मानक के अनुसार खाद्य सामग्री विक्रय करेगा तथा व्यासवसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग कर अन्य सुसंगत विधियों जैसे श्रम विधि आदि के प्रावधानों का पालन करेगा।

29. कैंटीन के अंदर किसी भी मादक पदार्थ अथवा द्रव्यों/धूम्रपान/पान/तम्बाकू/बीडी/सिगरेट आदि का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

30. **ठेके की दो वर्षीय अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् ठेका दो प्रति एक वर्ष निर्धारित राशि पर 10 प्रतिशत की राशि बढाकर एक वर्ष के लिये पूर्ववर्ती शर्तो के अधीन ठेका एक–एक वर्ष के लिये नवीनीकृत किया जा सकेगा।**

31. केन्टीन में बाल श्रमिक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

यथा आदेश केन्टीन निविदा की सूचना व शर्ते तैयार कर न्यायालय निम्नलिखित स्थानों पर चस्पा कराया जाना प्रस्तावित हैं।

01. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग जिला न्यायालय गुना की ओर यथा आदेश उक्त विज्ञप्ति प्रालेख जिला न्यायालय गुना एवं माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 की बेबसाईट (.www.mphc.gov.in) पर अपलोड करें साथ ही विज्ञप्ति के प्रकाशन हेतु अपर संचालक, विज्ञापन जन संपर्क कार्यालय भोपाल म0प्र0 की ओर आई0डी0 पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाईन प्रेषित किये जाने हेतु श्री योगेश राठौर सिस्टम अनालिस्ट का निर्देशित करने का कष्ट करें।

02. जिला न्यायालय के नोटिस बोर्ड गुना
03. आभिभाषक संध के नोटिस बोर्ड न्यायालय गुना
04. कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड गुना
05. तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड गुना
06. नगर पालिका परिषद के नोटिस बोर्ड गुना
07. जिला पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड गुना
08. जयस्तंभ चौराहा गुना
09. हनुमान चौराहा गुना
10. बस स्टेण्ड गुना
11. रेलवे स्टेशन गुना

प्रभारी अधिकारी,
नजारत अनुभाग,
कार्या.प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म.प्र.)